अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

रमेश कुमार पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी धूड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी

बनाम दीपसिंह पुत्र नवसिंह जाति राजपूत निवासी धूड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी

मुकदमा संख्या 258/2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
09.11.2022	वकील प्रार्थी की ओर से एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील की अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करने बाबत पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी वकील ने तर्क दिए कि प्रार्थी की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,40,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 11 के पुस्तैनी एवं पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त का खेत खसरा नम्बर 463 रकबा 6.4316 हैक्टयर व खसरा नम्बर 479 रकबा 1.1811 हैक्टयर ग्राम धुड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 11 के पूर्वजों की खातेदारी की होने से प्रार्थी के दादा नवसिंह के नाम पर्चा लगान जारी हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता स्व. नवसिंह से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है जिसमें 1/3 हिस्से विप्रार्थी सं. 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त पैतृक भूमि होने से प्रार्थी का जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहीत होने से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 से 9 का 1/3 हिस्से में समान हक हिस्सा बनता है जिस कारण वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से में प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 से 9 का समान रूप से 1/10–1/10 हिस्सा अर्थात सम्पूण रकबे में 1/30–1/30 हिस्सा पैतृक हक व खातेदारी अधिकारों का है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से उसमें प्रार्थी की ढाणी व कब्जा काश्त है तथा हिस्से अनुसार अपने कब्जे की भूमि पर काबिज है। कुछ समय पूर्व अपने भाईयों की सर्वसम्मति व बाहमी बंटवाड़े के अनुसार अपना रहवास व कब्जा काश्त शांतिपूर्ण ढंग से चला आ रहा है। लेकिन विवादित भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये बिना ही विप्रार्थी सं. 1 किसी अजनबी क्रेताओं को भूमि का बेचान करने पर उतारू है और प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि पर काबिज होने के लिए उतारू है। प्रार्थी के कब्जा काश्त भूमि में दखलदान्जी करने की कोशिश की जा रही है। यदि दौराने विचारण वाद के प्रार्थी की कब्जाशुदा खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य में भी संभव नहीं है।	

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

अतः प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जावे,कि वे विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 11 के पुस्तैनी एवं पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त का खेत खसरा नम्बर 463 रकबा 6.4316 हैक्टयर व खसरा नम्बर 479 रकबा 1.1811 हैक्टयर ग्राम धुड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 11 के पूर्वजों की खातेदारी की होने से प्रार्थी के दादा नवसिंह के नाम पर्चा लगान जारी हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि विप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता स्व. नवसिंह से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है जिसमें 1/3 हिस्से विप्रार्थी सं. 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त पैतृक भूमि होने से प्रार्थी का जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहीत होने से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 से 9 का 1/3 हिस्से में समान हक हिस्सा बनता है जिस कारण वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से में प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 1 से 9 का समान रूप से 1/10–1/10 हिस्सा अर्थात सम्पूण रकबे में 1/30–1/30 हिस्सा पैतृक हक व खातेदारी अधिकारों का है। सलंग्न पर्चा लगान की प्रति से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पैतृक है, यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थी को पैतृक भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बठने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रथम द्वष्यता सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में जाहिर होने से प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 14.12.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है,कि ग्राम धुड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा नम्बर 463 रकबा 6.4316 हैक्टयर व खसरा नम्बर 479 रकबा 1.1811 हैक्टयर भूमि के संबध में प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी.नोटिस तलब करने की दस्ती प्रार्थी वकील को दी जाकर पत्रावली वास्ते–विप्रार्थीगण की तलबी एवं जवाब हेतु दिनांक 14.12.2022 को पेश हो

सहायक कलक्टर

258/2022

14.12.22 वादी वकील उप०।
वादी वकील द्वारा विपक्षीगण की तामील हेतु जारी रजिस्टर्ड नोटिस की पावती रसीद पेश की, जो नोटिस की तामील प्रति पर चस्पा की।
अप्रार्थी मिठालाल की तरफ से श्रीमान वकील [illegible] द्वारा वकालतनामा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आ. 1 नि. 10 सी.पी.सी. वास्ते पक्षकार बनाये जाने [illegible] पेश किया जो शामिल मिसल हो।
पत्रावली वास्ते विपक्षीगण का इन्तजार एवं प्रार्थना-पत्र पर जवाब एवं बहस हेतु तारीख 28.12.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

28.12.22 वादी वकील उप० विपक्षी सं. 1 से 3 व 5 से 9 के वकील उप०।
पत्रावली वास्ते विपक्षी सं. 1 से 3 व 5 से 9 के जवाब, शेष विपक्षीगण का इन्तजार एवं प्रार्थना-पत्र पर जवाब एवं बहस हेतु तारीख 18-1-23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

18.1.23 पक्षकारान वकील उप०।
पत्रावली वास्ते विपक्षी सं. 1 से 3 व 5 से 9 का जवाब एवं शेष का इन्तजार बाबत पत्रावली तारीख 15-2-22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

15-2-23 पत्रावली पेश हुई।
पीठासीन अधिकारी अ-4 बोर्ड अजमेर में व्यस्त रहने से पत्रावली स्थगित होकर तारीख 1-3-23 को पेश हो।

1-3-23 पत्रावली पेश हुई।
बार एसोसिएशन द्वारा [illegible] रखे जाने से पत्रावली स्थगित होकर तारीख 21-3-23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

258
9/11/22
14-12-22

सेवामें,

21.3.23 ~~पत्रावली पेश हुई~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ 2.5.23
~~को पेश हो।~~

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

2.5.2023

पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 से 3 व 5 से 9 के वकील उपस्थित।

पत्रावली वास्ते शेष विप्रार्थीगण का इन्तजार एवं प्रार्थना पत्र पर जवाब एवं बहस हेतु आईन्दा 31.05.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

4.5.2023

वादी स्वंय द्वारा मूल वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर मूल वाद के सलंग्न उक्त पत्रावली आज तलब की गई।

चूंकि मूल वाद जरिये राजीनामा विड्रो के खारिज किया जा चुका है। लिहाजा इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः ऐसी स्थिति में मूल वाद की तर्ज पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदन इसी स्तर पर जरिये राजीनामा को दृष्टिगत रखते हुए जरिये विड्रो के खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी